संख्या-30/2019/397 ई-2/तेरह-2019-20/2009

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 01 मार्च, 2019

विषय:-मेसर्स डेयरी इण्डिया प्रा0लि0, डी0 खसरा नं0-883/1,879/2,882 एवं 881 घन्सूरपूर, तहसील-स्याना, जनपद-बुलन्दशहर को कैटिल फीड निर्माण हेतु शीरे की वार्षिक उपभोग क्षमता निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-229/दस-140 सी/वा0शी0उ0/ डेयरी इण्डिया प्रा0लि0/2017-18, दिनांक 14 फरवरी, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र में की गई संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स डेयरी इण्डिया प्रा0लि0, डी0 खसरा नं0-883/1,879/2,882 एवं 881 घन्सूरपूर, तहसील-स्याना, जनपद-बुलन्दशहर की पशु आहार निर्माण हेतु वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता 48,000 कुण्टल (अड़तालिस हजार कुन्तल) निर्धारित किए जाने की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in